

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/266

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
11-128	197/24	10/6/24	20/6/24 DOR	20/6/24

अनवान

श्री ..... श्रीमान लाल S/o उदा योगी

श्री ..... श्रीमान S/o नरेश वर्मा

निवासी ..... एनवाडा

निवासी ..... खानपुरा गाँव

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री ..... श्रीमती लखोटे

श्री .....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 197/24

तारीख दायर 10/6/24

1-श्यामलाल पुत्र उदा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील  
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1- उरजन पुत्र नन्दा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी सावतजी का खेडा  
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

2- प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी निवासी धनवाडा  
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

3- राधेश्याम पुत्र गणेशलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी निवासी धनवाडा  
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

4-भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला  
भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

: -आदेश:-

दिनांक 20/6/24

प्रार्थनापत्र श्यामलाल पुत्र उदा ने जरिये अभिभाशक श्री दीपक मीणा  
एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि  
भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख  
निरिक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में  
स्थित खाता संख्या 671 आराजी नंबर 229, 230, 231, 232, 989,  
989/1 रकबा 1.4163 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 1.4163 हैक्टेयर  
भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद  
करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र  
की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता  
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबंदी 2077 का  
अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार / गैर खातेदार  
का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं।  
पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार  
किया भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा  
भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला  
भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 671 आराजी नंबर 229, 230,

231, 232, 989, 989/1 रकबा 1.4163 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा  
1.4163 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु  
आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रुपये राजकोश मे  
जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपपुत्र अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-शीलवाड़ा  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 197/24

तारीख दायर 10/6/24

प्रेषित:-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 197/24 पत्थरगढी बाबत।

1- श्यामलाल पुत्र उदा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) -प्रार्थी

बनाम

1- उरजन पुत्र नन्दा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी सावतजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

2- प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

3- राधेश्याम पुत्र गणेशलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

4- भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) -विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 671 आराजी नंबर 229, 230, 231, 232, 989, 989/1 रकबा 1.4163 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 1.4163 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कि जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा  
बिजौलियाँ

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

: 341/2024

श.दि.का.क

बनाम

वि.अ.सिया

किरम मुकदमा -

111-128

नम्बर

197 / 2024

इसमें या कार्यवाही मया इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

10 06

/2024

प्रार्थना पत्र सीमें से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 20/06/2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

20/6/24 पत्रावली पेश हुई। श.दि.का.क पर उपस्थित।  
बिपक्षीयता को रजि-50 से तमीर करवाई  
गई। पत्रावली में छ-पक्षीय आदेश पारित  
किए गए। तहसीलदार बिजौलिया को आदेश  
पारित कर पाल्मार्च लिखा जावे। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर  
दाखिल दफ्तर की

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-धीलवाड़ा